इन पशुओं के लिए बदलाव तभी आयेगा जब दर्शक चिड़ियाघरों को समर्थन देना बंद कर दें

चिड़ियाघर में जानवरों की तरफ से उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप शुरू किया है और निर्देश दिया है कि अदालत की अनुमति के बिना कोई नया चिड़ियाघर न बनाया जाये.

कृपया मदद करें, और लोगों से भी मदद करवाएं. एक बड़ा बदलाव लाने में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं. आप अपने राज्य के पर्यावरण व वनमंत्री से और अपने शहर के नगरपालिका प्रशासकों से मिलकर या पत्र लिखकर यह अनुरोध कर मदद कर सकते हैं कि यहां वास कर रहे पशुओं की स्थिति में विशिष्ट सुधार लायें और अपने स्थानीय चिड़ियाघरों के लिए भी वे 'कोई नया जानवर' नहीं की नीति अपनाएं.

सबसे अधिक दूरगामी प्रभाववाला कदम आप इन कैद पशुओं की मदद के लिए यह कर उठा सकते है कि अपने मित्रों व परिवार के लोगों को मनायें कि वे चिड़ियाघरों व पशुओं वाले अन्य आकर्षणों का बहिष्कार करें.

ऐसे क्रूर प्रदर्शनों पर अपनी आपत्ति जताते हुए आप अपने स्थानीय समाचारपत्रों, नगर के अधिकारियों और राज्य के पर्यटन विभाग को पत्र लिखें. चिड़ियाघरों की हालत में सुधार लाने या उन्हें समाप्त कर देने के लिए उनके हस्तक्षेप और समर्थन की मांग करें.

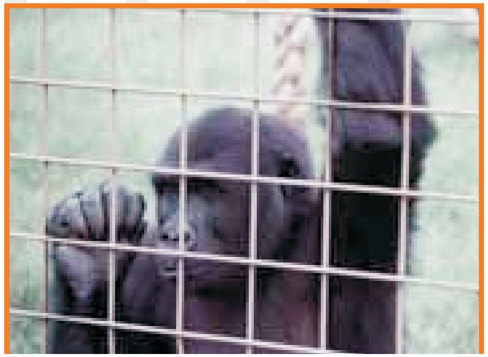

''हमारे चिड़ियाघर अभी भी अंधेरे युग में ही हैं.
किसी भारतीय चिड़ियाघर में किसी पशु को दाखिल करना उसे मौत की सज़ा'' सुनाने के बराबर है.''

– इकबाल मलिक,
पशु अधिकार कार्यकर्ता व पर्यावरणविद्

चिड़ियाघर में आप पशुओं की मदद कैसे कर सकते हैं, इस पर अधिक जानकारी के लिए यहां सम्पर्क करें :

PETA

People for the Ethical Treatment of Animals India
PO Box 2, GPO, Pune 411 001
(020) 2605-8102
PETAIndia@peta.org

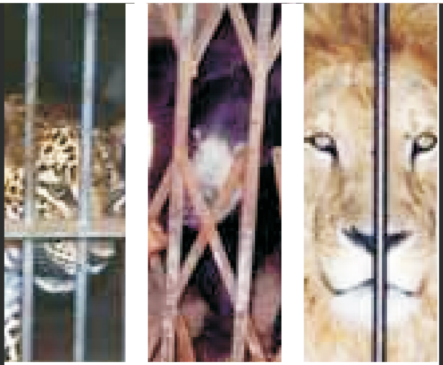

चिड़ियाघर : अभ्यारण्य नहीं, मौत का शिकंजा

पशुओं के प्रति रुचि रखने की कसमें खाने के बावजूद, चिड़ियाघर आज भी जीवितों की 'प्रदर्शनी' के दुखद संग्रह बनकर रह गये हैं, न कि पशुओं के लिए स्वर्ग या तथाकथित प्राकृतिक बसेरा. चिड़ियाघर लोगों को सिखाते हैं कि, पशुओं को असहाय कर कैद में बंद रखना चाहिए जहां पशुओं का मन नहीं लगता, उन्हें सिमट कर रहना पड़ता है, वे अकेले होते हैं, अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुरूप बर्ताव नहीं कर सकते और अपने घर – परिवार से बहुत दूर होते हैं.

PETA

तकलीफदेह कारागार

आप कभी किसी एक कमरे में २४ घंटे बिताइए जहां कोई गोपनीयता न हो और करने के लिए कोई काम नहीं और आपको एक हल्की सी झलक इस बात की मिल जायेगी कि कोई पशु अपनी पूरी जिंदगी किसी चिड़ियाघर में किन हालात में बिताता है. चिड़ियाघर कोई खुलेदार, प्रकृतिवादी वास नहीं है. यहां विरले ही ऐसे ढांचे मिलते हैं जिन पर बंदर चढ़ पायें और ना बड़ी बिल्लियों के लिए पेड़ की छांव है न पानी के कुंड, दौड़ने और खेलने के लिए जगह की कौन कहे.

लगातार कैद, कई मामलों में अपर्याप्त आहार (कई जगह तो संचालक दर्शकों पर निर्भर हैं कि वे आयें और जानवरों को खिलायें) और शोर मचाते बच्चों व वयस्कों से मिलनेवाले दुर्व्यवहार को लगातार झेलने के कारण पैदा हुआ तनाव शारीरिक व मानसिक रूप से इनके लिए बेहद हानिकारक है.

कुछ पशु अपनी कैद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हैं और पागलों की तरह जंगले की बाड़े को पंजों से नोचते हैं, जबकि अन्य अपनी खोल में घुस जाते हैं या खुद को घायल कर लेते हैं. चिड़ियाघरों के ६०% से अधिक जानवरों के सरों में चोट के निशान हैं क्योंकि वे लगातार बाड़े की छड़ों में अपना सर मारते रहते हैं. शेष ने खुद को इतना ज़ख्मी किया कि उनके बाल झड़ गये.

ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा हाल में किये गये एक अध्ययन से निष्कर्ष निकाला जो हमें वैसे भी सामान्य सूझबूझ से पता चलता है : जंगल में खुले आम विचरण करनेवाले पशुओं, जैसे भालू व बड़ी बिल्लियां, पर कैद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने सिफारिश क कि इन पशुओं को चिड़ियाघर से चरणब तरीके से पूरी तरह हटा दिया जाये.

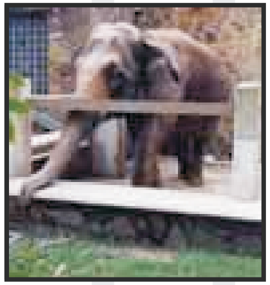

भारत में ६४ बड़े और १९४ मध्यम आकार के चिड़ियाघर हैं. इन कैदखानों में रखे गये जानवरों में से १० से १५ प्रतिशत हर साल मरते हैं और इनमें से अधिकांश समयपूर्व मर जाते हैं.

खुद को अस्तित्व में बनाये रखने के लिए चिड़ियाघर संचालक यह दलील देते हैं कि वे लुप्तप्राय जातियों का प्रजनन कराते हैं, इसके बावजूद आजतक एक भी शेर को जंगलों में वापस नहीं पहुंचाया जा सका है. लुप्तप्राय जातियों के संरक्षण का तरीका यह है कि ज़मीन खरीदी जाये, शिकार से पशुओं को बचाने के लिए वार्डन रखे जायें और प्राकृतिक रहवास बचाये जायें. इसके अलावा कानून द्वारा देखभाल का स्तर निर्धारित किया जाये जो सभी २१ सदी में पशुओं के बारे में हमारे ज्ञान को देखते हुए अपर्याप्त हैं. चिड़ियाघरों को सस्ता बनाये रखने के काम में जो संसाधन खर्च किये जाते हैं, उन्हें ही अगर जंगलों में पशुओं के संरक्षण पर खर्च किया जाये तो उसके अधिक सफल व मानवीय परिणाम निकलेंगे.

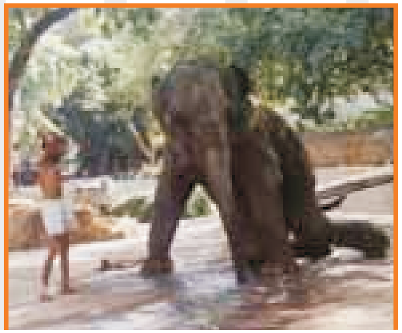

चिड़ियाघरों के सामान्य दृश्य

- जानवरों के बाड़े में पानी की आपूर्ती नहीं
- हाथियों को दिनभर दो या अधिक पैरों में जंजीर से बांधे रखना, आमतौर पर हाथी ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं (झूमना, ज़ंजीर बनाना आदि) जो लगातार कैद का परिणाम हैं.
- तेंदुए, सिंह और शेर या तो अपने घेरों के अंदर छोटे पिंजरों में कैद रहते हैं या बोरियत व तनाव के कारण अपने बाड़ों में ही यहां से वहां घूमते हैं.
- कंक्रीट के छोटे घेरों में ही कैद भालू, जहां न पत्थर का कोई ढांचा है या कोई वनस्पति और वे मानसिक रूप से अत्यधिक बीमार दिखानेवाला व्यवहार करते हैं, जैसे–सर हिलाना और छड़ों ४ को चूसना.

- वहां आनेवाले दर्शक उन्हें चिढ़ाते हैं, नकल उतारते हैं और उन्हें पॉलीथीन, कागज या अन्य कचरा खिलाते हैं और कोई सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकता नहीं है.
- पानी के सूखे कुंड और गंदगी व कचरे से भरे गंदे नाद.
- अत्यधिक भरे हुए घेरे जहां हर जानवर को बमुश्किल कुछ जगह मिल पाती है या घेरों में अकेले बंद जानवर जो पूरी ज़िंदगी यूं ही अपनी जाति के अन्य सदस्यों से अलग वियुक्त जीवन बिताते हैं.
- गंदे, कूड़े से भरे बाड़ें जहां उन्हें गर्मी, सर्दी और बरसात से बहुत कम या कोई बचाव नहीं मिलता.

कानूनन, पिंज़रे उतने ही बड़े होने चाहिए ताकि पशु खड़े हो सकें, लेट जायें या उनमें घूम सकें.